भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1292
सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक)

रोजगार दर में वृद्धि करने के उपाय

1292. श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान रोजगार दर और हाल के वर्षों में इसकी प्रवृत्ति का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, विशेषकर युवाओं के लिए, रोजगार सृजन हेतु उठाए जा रहे ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का रोजगार सुरक्षा और आजीविका सहायता प्रदान करने के लिए मनरेगा में किस प्रकार सुधार करने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का मनरेगा के दायरे का विस्तार करके इसमें अकुशल श्रम के साथ-साथ कौशल आधारित रोजगार को भी शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के तहत हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विनिर्माण जैसे उभरते क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ)**:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 46.8% से बढ़कर 2023-24 में 58.2% हो गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी एनआरईजीएस) मांग आधारित वेतन रोजगार कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अप्रशिक्षित/अकुशल शारीरिक श्रम करने के स्वेच्छा से इच्छुक हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का गारंटीशुदा वेतन रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में

परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान करता है। यह आजीविका सुरक्षा प्रदान करता है अर्थात् जब रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध न हों तो ग्रामीण परिवारों के पास आजीविका उपार्जन का यह विकल्प उपलब्ध रहे। ग्रामीण विकास मंत्रालय मुद्रास्फीति के कारण कामगारों की क्षतिपूर्ति के लिए, कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वेतन दर संशोधित करता है। वेतन दर को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दिनांक 1 अप्रैल से कार्यान्वित किया जाता है। वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2024-25 में अधिसूचित वेतन दर में समग्र प्रतिशत वृद्धि लगभग 7% है।

युवाओं के रोजगार सृजन के साथ-साथ नियोजनीयता में सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही है। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), पीएम रेहड़ी पटरी विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आदि शामिल हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोज़गार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) कौशल विकास केंद्रों/संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में, युवाओं सहित पूरे देश में, विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करता है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए सक्षम बनाना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है। दिनांक 30.06.2025 तक, एनसीएस पोर्टल पर 6.2 करोड़ से अधिक रिक्तियां जुटाई गई हैं।

दिनांक 25 सितंबर, 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य निवेश को सुगम बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे में श्रेष्ठ श्रेणी का

निर्माण करने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केंद्र बनाना है। यह अनूठी 'वोकल फॉर लोकल' पहलों में से एक है जिसने दुनिया के लिए भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया। देश में घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विदेश में भारतीय मिशनों के माध्यम से निवेश आउटरीच किया जा रहा है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0 हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विनिर्माण सहित 27 क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

सरकार ने विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें 14 क्षेत्रों (हरित ऊर्जा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और विनिर्माण सहित) के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का विस्तार, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर को कम करने और निजी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए पीएम गतिशक्ति योजना की शुरुआत, एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का विस्तार आदि सहित कई प्रयास शामिल हैं। आत्मनिर्भर भारत मिशन के हिस्से के रूप में, सरकार ने आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए परियोजनाओं की नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर सूची को भी लागू किया है। सरकार ने बैंकों को पुनर्पूंजीकृत किया है, उनका विलय किया है और उनकी बैलेंस शीट को मजबूत किया है ताकि मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के खत्म होने के बाद बैंकों द्वारा ऋण देने की सुविधाओं का तेजी से विकास हो सके।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी है।

*****